	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 06, मंगलवार, *शाके* 1945-जून 27, 2023 *Asadha 06, Tuesday , Saka 1945- June 27, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 27, 2023

जी.एस.आर.153 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2022 दिनांक 22-03-2023 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 22, 2023

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 के उप-नियम (3) में, विद्यमान खण्ड (v) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(v) राज्य सरकार द्वारा जारी पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना या ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रयस्थल जन सहभागिता योजना से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।"

3. नियम 75 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 75 के उप-नियम (1) में, विद्यमान खण्ड (v) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(v) राज्य सरकार द्वारा जारी पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना या ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रयस्थल जन सहभागिता योजना से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।"

[एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.